संख्या-10/2017/1968 आ.न.यो./नौ-8-16-05आ.न.यो. (बजट)/2016

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में **आदर्श नगर योजना** के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार जनपद रामपुर को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वितीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार जनपद रामपुर को अवस्थापना सुविधाओ के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकाय द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना में इंगित कार्यो हेतु रूपये 528.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रथम किश्त के रूप में रूपये 264.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, तत्क्रम में नगर पालिका परिषद स्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-432/न.पा.प./2016-17 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए ,द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी किये गये शासनादेश संख्या-1230/आ.न.यो./नौ-8-2016-5आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 06 अक्टूबर,2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार, जनपद रामपुर को चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रूपये 264.78 लाख (रूपये दो करोड़ चौंसठ लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक" 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता -04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. निदेशक नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को नागर निकाय के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में शासन के कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 23.03.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निकाय के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

5. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकाय को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2017 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 प्रपत्र

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-10/2017/1968(1)/नौ-8-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, रामपुर उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका परिषद स्वार जनपद रामपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष : 2016-17

(धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों -03-शहरी विकास-2217" अभिसूचित क्षेत्र /नगर पंचायतों-193-का समेकित विकास ...-04-सहायता निकायों कोसमितियों या उनके समतुल्य आदर्श नगर -01-प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु -35-विकास योजना अनुदान "	1650000	459019	200000	200000	1450000
योग	1650000	459019	200000	200000	1450000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9 - 8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या 37-के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-01-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	350000	550000	200000	200000	550000
योग-	350000	550000	200000	200000	550000

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
   परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
   नगर पालिका परिषद मद में कम बजट व्यवस्था होने तथा नगर पालिका परिषदों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:-301/ई-8-3186/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव, वित्त विभाग

संख्या:-1851/आ.म.यो./नौ-8-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (चर्म्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ
7. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी